निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 52/2024
दायरा दिनांकः—09.07.2024
निर्णय दिनांकः— 25.02.2025

उनवान

1. हितेश कुमार आयु 44 वर्ष पुत्र राजमल जाति सुनार
2. उमादेवी आयु 62 वर्ष पत्नि राजमल जाति सुनार निवासीगण छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 25.02.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री बालमुकन्द खण्डेलवाल— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खाते आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 12 बिस्वा छषड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे स्थित है जिसकी नकल जमाबंदी सम्वत 2075—78 सलंग्न वाद पत्र है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पूर्व मे खातेदार अजीज शाह से खरीद की थी खसरा नम्बर 151 152 के उत्तर दिशा की ओर से खसरा नम्बर 149 की सरकारी आराजी स्थित है जिस पर पूर्व मे अजीज शाह का कब्जा था और अजीज शाह से ही उक्त आराजी खरीदते समय प्रार्थीगण को कब्जा प्राप्त हुआ था। आराजी खसरा नम्बर 150, 151 प्रार्थीगण ने सन् 1992 में जयें रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अजीज शाह से खरीद की थी तथा खसरा नम्बर 149 की आराजी भी जो अजीज शाह के कब्जे में थी उस पर आज से करीब 40 वर्ष पूर्व कब्जा प्राप्त किया था इस प्रकार प्रार्थीगण सन् 1992 से खसरा नम्बर 149 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 149 की आराजी दिनांक 15/01/2012 को जरिये इन्तकाल नम्बर 1706 दिनांक 23/08/2012 को नगर पालिका के अधीन सामूहिक आदेश से नगर पालिका छबड़ा के खातेदारी मे गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज की गई। अप्रार्थीगण बिना किसी कानूनी प्रकिया के प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 30/06/2024 को धमकी दी कि आराजी खसरा नम्बर 149 में मक्का व सोयाबीन की खड़ी फसल को नष्ट करके तुम्हे बेदखल कर देगे। जबकि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर 40 वर्षो से काबिज एंव काश्त करते चले आ रहे है एंव उसकी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है अप्रार्थीगण ने अपनी धमकियो को कार्यरूप मे परिमित कर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए अन्य विवादो उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक क्षति होगी। प्रार्थीगण के पति एंव पिता का नाम खसरा परिवर्तित सम्वत 2063 एंव 2064 में भी राजमल पुत्र मोहनलाल का नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होना प्रमाणित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 571 नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2062 नकल खसरा परिवर्तन ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2064 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पूर्व में खातेदार अजीज शाह से खरीद की थी खसरा नम्बर 151,152 के उत्तर दिशा की ओर से खसरा नम्बर 149 की सरकारी आराजी स्थित है जिस पर पूर्व में अजीज शाह का कब्जा था ओर अजीज शाह से ही उक्त आराजी खरीद की थी तथा कब्जा प्राप्त किया था। आराजी खसरा नम्बर 150,151 प्रार्थीगण ने सन् 1992 में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अजीज शाह से खरीद की थी खसरा नम्बर 149 की आराजी भी अजीज से खरीद की जो आज से करीब 40 वर्ष पूर्व कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 149 रकबा 9.02 बीघा में से 4 बीघा पर काबिज काश्त करतें चले आ रहे है। अप्रार्थीगण बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल नही कर सकतें मेरी फसल खडी हुई है मेरा समान कानूनी प्रक्रिया बिना फेंक नही सकतें भूमि पर कब्जा सम्वत् 2063–64 में भी राजमल पुत्र मोहनलाल का नाम खसरा परिवर्तन से साबित होता है प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है मेरे परिवार का भरण पोषण उक्त भूमि से कर रहा है भूमि पर फसल की जाती है ओर आज भी फसल खडी हुई है भमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दी गई। अभी कोई आबादी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है विवादित आराजी नगर पालिका के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है विवादित भूमि गैर मुमकिन आबादी की है कृषि आराजी नही है माननीय न्यायालय को गैर मुमकिन आबादी की भूमि के प्रकरणों को सुनने का क्षैत्राधिकार नही है कृषि आराजी से सम्बन्धित प्रकरणों को सुनने का क्षैत्राधिकार है प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक नही है 188 आर0टी0एक्ट0 का वाद सिर्फ खातेदारी ही ला

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सकता है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण खातेदार न होने से प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नही है काबिल खारिजी है प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तो प्रार्थीगण को घोषणा कराने का वाद पत्र लाना चाहियें था। प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा से सम्बन्धित नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा पेश किया है इस धारा में मात्र खातेदार ही दावा ला सकता है प्रार्थीगण खातेदार नही है इसलिए इनका दावा व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि अजीज शाह से खरीदना बताया है परन्तु खरीदे का कोई दस्तावेज पेश नही किया है प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खसरा नम्बर 149 की भूमि सरकारी होना स्वंय ने बताया है अजीज शाह का खसरा नम्बर 149 पर कोई हक हकुक नही था वह कब्जा कैसे ट्रांसफर कर सकता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 571 के अनुसार नगर पालिका के खाते में दर्ज है खसरा नम्बर 149 रकबा 2.4913 है0 गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी नगर पालिका छबडा के खाते में दर्ज है किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2062 एवं सम्वत् 2064 के अनुसार खसरा नम्बर 156,149 पर राजमल पुत्र मोहनलाल सोनी सा0देह का कब्जा दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र धारा 188 आर0टी0एक्ट के साथ 212 प्रार्थना पत्र का पेश किया गया है। मूल वाद का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर किया जायेगा परन्तु खसरा नम्बर 149 में वादी एक अतिक्रमी है नगर पालिका के खातें में दर्ज भूमि पर बिना खातेदारी अधिकारों के कब्जा करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से एवं मेन्टेनेवल नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)